Reliance
Industries Limited

पत्र संख्या– / दिनांक–

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

विषयः– **जनपद मेरठ में गढ–मेरठ–बागपत–सोनीपत रोड (SH- 14) के किमी0 53 (Ch. 52.540) पर खसरा नम्बर 103 व 104 ग्राम मलियाना, जिला– मेरठ पर रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (Proposal No.- FP/UP/Others/31597/2018)**

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक– 1178/11–सी –FP/UP/Other/31597/2018, दिनांक– 13.12.2018.

महोदया,

आपके कार्यालय स्तर से विषयक प्रस्ताव में उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा आपत्तियाँ लगाई गयी है। अ विषयक प्रस्ताव में उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर सूचनाएें/अभिलेख विन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

बिन्दु संख्या	आपत्ति	आपत्ति का निस्तारण
1	2	3
1	प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शेड्यूल संलग्न है किन्तु योगफल में त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः तदानुसार संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड करें।	संशोधित लैण्ड शेड्यूल ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	सम्बन्धित नहीं है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है किन्तु शीर्षक व लीजेन्ट अंकित नहीं है।। अतः पूर्ण शीर्षक व लीजेन्ट अंकित करते हुए संलग्न कर ऑनलाईन भाग– 2 में भी अपलोड करें।	सम्बन्धित नहीं है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना में हरियाली का घनत्व 0 एवं 0.4 अंकित किया गया है। अतः एक समान हरियाली घनत्व संशोधित करते हुए वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड करें।	एन0पी0वी0 से सम्बन्धित वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	भारत सरकार के पत्रांक एफ0न0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक– 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है।

08/02/19
Suraj Vikas
State Head
U.P.(W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.

6	पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अनापत्ति कर दिया गया है।
7	हार्ड कापी भाग– 1 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न नहीं किया गया है।	हार्ड कापी भाग– 1 संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में प्रभागीय निदेशक की संस्तुति का हार्ड कापी भाग– 2 संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित कर दी गयी है।
9	ऑनलाईन भाग– 2 के क्रमांक– 5, 6 एवं 7 में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः पूर्ण एवं सही डाटा फीड करें।	ऑनलाईन भाग– 2 क्रमांक– 5, 6 एवं 7 में आपके स्तर से डाटा फीड किया जाना है।
10	प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने वाली भूमि की खतौनी संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने वाली भूमि की खतौनी संलग्न कर दी गयी है।
11	ऑनलाईन भाग– 2 क्रमांक– 13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण के Geo Referenced Digital Map के स्थान पर प्रस्तावित स्थल का Geo Referenced Digital Map के अपलोड़ किया गया है। अतः ऑनलाईन भाग– 2 क्रमांक– 13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड करें।	प्रस्ताव पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर तद्नुसार ऑनलाईन भाग– 2 क्रमांक– 13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण का सत्यापित Geo Referenced Digital Map आपके स्तर से किया जाना है।
12	ऑनलाईन भाग– 2 एवं संलग्न सीडी में क्षतिपूरक वनीकरण के kml file में भिन्नता है तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का kml file, Geo Referenced Digital Map & SOI Toposheet संलग्न करते हुए ऑनलाईन अपलोड करें।	आपके स्तर से सम्बन्धित है।

अतः प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रस्ताव भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रेषित करने का कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

08/02/19

(सूरज विकास)
स्टेट हैड,
यू.पी. (वेस्ट) एण्ड उत्तराखण्ड,
रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
साइबर सिटी, फेज–2,
गुड़गांव (हरियाणा)।

Suraj Vikas
State Head
U P (W) Uttarakhand
Reliance Industries Ltd.